



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2020 के परीक्षाफल में संशोधन एवं पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 21/2020

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, विद्यालय प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों के अंक पत्रक/सारणीयन पंजी (Tabulation Register) में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो परीक्षार्थी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक **28.08.2020** तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त परीक्षाफल संशोधन हेतु कोई भी आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2020 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक **29.07.2020 से 28.08.2020** तक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के वेबसाइट (www.jac.jharkhand.gov.in) के माध्यम से जमा करेंगे। स्कूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत् होगी:-

- * परिषद् के वेबसाइट पर स्कूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
- * प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 300/- (तीन सौ) रूपये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है।

I. स्कूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा:-

- (क) अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
- (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।

II. स्कूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा- 2020 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्कूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना सम्पूरक (Compartmental) परीक्षा- 2020 अथवा वार्षिक परीक्षा- 2021 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं।

III. निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

IV. निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजे गए स्कूटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

(महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10-SECY/233/20

Dt.- 23.07.2020

D.O.P.- 24.07.2020